अनंबर व तारीख अहकाम जो इस पर जारी हुए की तारीख में जारी हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 92 / 2020 / दावा 136 एलआरएक्ट

हरचन्द पुत्र श्री किशन जाति रैबारी निवासी लढाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

—प्रार्थी

ब ना म

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

— अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 **L.R.Act.**

उपस्थिति –

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक – 31.08. 2021

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 492 किता 1 कुल रकबा 1.0800 है0 तन ग्राम लढाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है जिसके खातेदारी कॉलम में प्रार्थी का गलत नाम हरिशचन्द्र पुत्र किशन दर्ज चला आ रहा है। कृषि भूमियाँ ख.नं. 106, 106 / 584, 107, 7 व 8 कुल किता 5 कुल रकबा 4.7000 है0 तन नव सृजित गांव कुवालसर पटवार हल्का लढाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिनके खातेदारी कॉलम में प्रार्थी का गलत नाम अर्जुन पुत्र श्री किशन दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी को बोलचाल एवं देहाती भाषा में हरचन्द, हरचन्दाराम, हरिशचन्द, अर्जुन, अरजन नामों से जाना, पहचाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के पहचान के दस्तावेजो में सही नाम हरचन्द दर्ज है। पहचान के दस्तावेजात व कृषि भूमियों की खातेदारी में दर्ज नामों की भिन्नता के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर किसान हितों के लाभार्थ कई सरकारी योजनाओं से वंचित चल रहा है इसलिए राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी कई बार–बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों से निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। सम्बंधित समस्त दस्तावेज संलग्न प्रार्थना–पत्र है एवं मुताबिक अन्य रिकार्ड प्रार्थी के नाम से दुरूस्त कर सही रूप से दर्ज किया जाना न्याय संगत है। वाद कारण अरसा करीब 10–12 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा आवेदक का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 492 किता 1 कुल रकबा 1.0800 है0 तन ग्राम लढाणा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

तहसील दांतारामगढ जिला सीकर तथा भूमियॉ ख.नं. 106, 106/584 107, 7 व 8 कुल किता 5 कुल रकबा 4.7000 है0 तन नव सृजित गांव कुवालसर पटवार हल्का लढाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम अर्जून के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम हरचन्द दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम अर्जून के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम हरचन्द दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है प्रार्थी का नाम राजस्व ग्राम लढाणा की जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 72 में हरिशचन्द्र पुत्र श्रीकिशन दर्ज है व ग्राम कुवालसर जमाबन्दी सम्वंत 2076–2079 के खाता संख्या 10 में प्रार्थी का नाम अर्जुन पुत्र श्रीकिशन जाति रैबारी दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होकर प्रार्थी का सही नाम हरचन्द पुत्र श्रीकिशन होना बताया है। अतः रिपोर्ट पटवारी के आधार पर हरचन्द पुत्र श्रीकिशन शुद्व किया जाना उचित है रिकार्ड संशोधन की अभिशंषा की जाती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 492 किता 1 कुल रकबा 1.0800 है0 तन ग्राम लढाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर तथा भूमियॉ ख.नं. 106, 106/584, 107, 7 व 8 कुल किता 5 कुल रकबा 4.7000 है0 तन नव सृजित गांव कुवालसर पटवार हल्का लढाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी का नाम अर्जून ~~के स्थान~~ पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम अर्जून उर्फ हरचन्द दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/21

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ